

कब्‍या सूचना <p>(अवल संपत्ति हेतु)</p>	
जब कि,	
सामान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियावुल्स हाउसिंग फाचमनस लिमिटेड जाना जाता था) ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिस्कमैनेजमेंस ऑफ फायनॉशियल असेट्स एंड एफ्कोसिमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेंट एकेट, 2002 (2002 का 54) ("उत्त एकेट") और निमय 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेंट (एफ्कोसिमेंट) रूल्स, 2002 (उत्त रूल्स) के साथ पढ़ते हुए प्राप अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार, गारंटर और गिरवीकर्ताओं भैरवी और हनुसी भैरवी को कर्ज ज्ञान में. HHLNOD00364961 के तहत दिनांक 19.06.2021 को संपत्ति में 17.06.2021 तक उल्लिखित राशि जो रु. 58,43,940.22 (रुएक अठ्ठावन लाख नौतालीस हजार नौ सौ चालीस और बाईस पैसे मात्र) के जो उक्त सुविधा के संबंध में 18.06.2021 से भुगतान / वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ, उक्त नोटिस को प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाना करने का आवाहन करते हुए अभियानना सूचना जारी की थी । और जब कि बाद में, आइएफएफएल ने दिनांक 30.09.2021 के असाइमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से आइएफएफएल द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार /गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्राप्तिवियों के साथ एग्रेट रिस्कट्रान्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं । इसलिए, उक्त असाइमेंट को ध्यान में रखते हुए, एडलवाइस एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी लिमिटेड के स्थान पर अब आइएसीआईएल को रखा गया है और आइएसीआईएल कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यावाही को शुरू करने / जारी रखने और वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने की हकदार होगी, जिसमें कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए सुखा हित को लागू करना भी शामिल है ।	
इसके बाद में, एडलवाइस एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी लिमिटेड ने इंएआरसी ट्रस्ट - एरसी 439 के ट्रस्टी के रूप में दिनांक 02.11.2023 के असाइमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से आइएफएफएल द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में सिस्कोरिटी रिसट धारकों के लाभ के लिए आरसीआईएल-सीपीएस-IV, ट्रस्ट ("एआरसीआईएल") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्राप्तिवियों के साथ एग्रेट रिस्कट्रान्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं । इसलिए, उक्त असाइमेंट को ध्यान में रखते हुए, एडलवाइस एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी लिमिटेड के स्थान पर अब आइएसीआईएल को रखा गया है और आइएसीआईएल कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यावाही को शुरू करने / जारी रखने और वित्तीय दस्तावेजों के तहत अधिकारों और लाभों को लागू करने की हकदार होगी, जिसमें कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा प्राप्त की गई उक्त सुविधाओं के लिए निष्पादित और बनाए गए सुखा हित को लागू करना भी शामिल है ।	
आइएसीआईएल को उक्त धाराशि चुकाना करने में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के विफल रहने पर एलएद्वारा विशेषतः कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, आइएसीआईएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोहस्ताक्षरी ने उक्त कानूनी की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानूनु के निमय ८ के तहत उसे प्रदा शक्तिवों का प्रयोग करते हुए 15.10.2024 पर, नीचे वर्णित सुखित संपत्तियों पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है । विशेषतः कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को निचे उल्लेखित सुखित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और सुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन 25.09.2024 तक रु. 84,26,502.17 (रुएक चौरासी लाख छब्बीस हजार पाँच सौ दो और सवाइस पैसे मात्र) को राशि के उक्त सुविधा के संबंध में 26.09.2024 से भुगतान / वसूली तक सभी आकस्मिक लगानों, शुल्कों और खर्चों के साथ संबिदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ आरसीआईएल के शुल्क के अधीन होगा । नीचे उल्लिखित सुखित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है ।	
अवल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का स्वामित्व: श्रीधर भैरवी	
यूनिट नं. 402, उदारहली मॉजिल, टावर डालाट, सिक्का कामना ग्रीन्स, जीएच-03/बी सेक्टर-143बी, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश ।	
सही/- प्राधिकृत अधिकारी	
दिनांक : 15.10.2024	एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
स्थान : नोएडा	(आइएसीआईएल-सीपीएस-IV ट्रस्ट के ट्रस्टी)

कब्‍या सूचना <p>(अवल संपत्ति हेतु)</p>	
जब कि,	
एडलवाइस एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी लिमिटेड ("इंएआरसी") ने सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिस्कमैनेजमेंस ऑफ फायनॉशियल असेट्स एंड एफ्कोसिमेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेंट एकेट, 2002 (2002 का 54) ("उत्त एकेट") और निमय 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिस्कोरिटी इंस्ट्रेंट (एफ्कोसिमेंट) रूल्स, 2002 (उत्त रूल्स) के साथ पढ़ते हुए प्राप अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार, गारंटर और गिरवीकर्ताओं अरिथम भट्टाचार्या और देबलीना बिस्वास को कर्ज खाता नं. HHLNOD00367563 के तहत दिनांक 28.02.2022 की सूचना में 02.02.2022 तक उल्लिखित राशि जो रु. 54,46,303.63 (रुएक चौवन लाख छियासीस हजार तीन सौ तीन और तिरसठ पैसे मात्र) के जो उक्त सुविधा के संबंध में 03.02.2022 से भुगतान / वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और दंडात्मक ब्याज के साथ, उक्त नोटिस को प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाना करने का आवाहन करते हुए अभियानना सूचना जारी की थी । और जब कि बाद में, एडलवाइस एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी लिमिटेड ने इंएआरसी ट्रस्ट - इंएआरसी ट्रस्ट - एरसी 439 के ट्रस्टी के रूप में दिनांक 02.11.2023 के असाइमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से सामान कैपिटल लिमिटेड (पूर्व में इंडियावुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) द्वारा कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता को दी गई सुविधाओं से उत्पन्न कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता द्वारा देय और देय ऋणों के संबंध में सिस्कोरिटी रिसट धारकों के लाभ के लिए आरसीआईएल-सीपीएस-IV, ट्रस्ट ("एआरसीआईएल") के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए अपने सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज और लाभ अंतर्निहित प्राप्तिवियों के साथ एग्रेट रिस्कट्रान्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड को सौंप दिए हैं । इसलिए, उक्त असाइमेंट को ध्यान में रखते हुए, एडलवाइस एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी लिमिटेड के स्थान पर अब आइएसीआईएल को रखा गया है और आइएसीआईएल कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के खिलाफ सभी और किसी भी कार्यावाही को शुरू करना है और आइएसीआईएल कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता के विफल रहने पर एलएद्वारा विशेषतः कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, आइएसीआईएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोहस्ताक्षरी ने उक्त कानूनी की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानूनु के निमय ८ के तहत उसे प्रदा शक्तिवों का प्रयोग करते हुए 15.10.2024 पर, नीचे वर्णित सुखित संपत्तियों पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है । विशेषतः कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता और सर्व सामान्य जनता को निचे उल्लेखित सुखित संपत्तियों के साथ लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है और सुरक्षित संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन 23.09.2024 तक रु. 73,58,258.37 (रुएक तिंशत लाख अठ्ठानवन हजार साठ सौ अठ्ठान और तैंतीस पैसे मात्र) को राशि के उक्त सुविधा के संबंध में 24.09.2024 से भुगतान / वसूली तक सभी आकस्मिक लगानों, शुल्कों और खर्चों के साथ संबिदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज के साथ आइएसीआईएल के शुल्क के अधीन होगा । नीचे उल्लिखित सुखित संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार / गारंटर / गिरवीकर्ता का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाया जाता है ।	
अवल संपत्ति का विवरण	
संपत्ति का स्वामित्व: अरिधम भट्टाचार्या और देबलीना बिस्वास	
यूनिट नं. 1804, अदारहली मॉजिल, टावर जाली, मापित 1150 स्क्वे. फीट (सुपर फरिया), एक कवाड कार पार्किंग के साथ, सिक्का कामना ग्रीन्स से पहवने जानेवाली परियोजना, जीएच-03/बी, सेक्टर-143बी, नोएडा-201301 उत्तर प्रदेश।	
सही/- प्राधिकृत अधिकारी	
दिनांक : 15.10.2024	एसेट रिस्कट्रान्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
स्थान : नोएडा	(आइएसीआईएल-सीपीएस-IV ट्रस्ट के ट्रस्टी)

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड					
पंजीकृत कार्यालय: यूनिट सं. 103, पहली मंजिल, सीएचडी स्वयंवर, संराम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059					
शाखा कार्यालय: शॉप नं. 107, दूध प्लाजा, गॉंधी रोड, प्रिंस सैज के निकट, देहरादून - 248 001					
नीलामी सह लिहक के लिए सार्वजनिक सूचना					
एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित कर्जदार/ी से बकाया रकम की वसूली के लिए प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सर्वरफेसी अधिनियम") के अधीन यहाँ नीचे उल्लेखित प्रस्तावत सम्पत्ति पर कब्जा किए जाने के अनुपालन के तहत, प्रचलन में रहने वाली सम्पत्तियों के कब्जे में यहाँ नीचे उल्लेखित अवन सम्पत्ति के "जैसे है जहाँ है के आधार पर", "जैसे है जो कुछ है के आधार पर" तथा "जैसे है वहाँ जो कुछ है के आधार पर" कब्ज करने के लिए अयोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव/बिलियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है:-					
कर्जदार(1)/सह-कर्जदार(1) का नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	अवल सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तारीख	आरक्षित मूल्य (आरपी)	इसका राशि (ब्याजी) (आरपी का 10%)	कुल बकाया रकम (16 अक्टूबर, 2024 को)
1. थापा मोहंती फौम 2. बन बहदुर थापा 3. सीता थापा सभी का पता सेवाली, प्रेमनगर, बडौवाला, अर्कोडिया घाट, परगना सेंट्रल दून, देहरादून-248007	31 अक्टूबर, 2022 रु. 43,102,154/- (रुपये तैंतालीस लाख दो हजार एक सौ चौवन मात्र) 25 अक्टूबर, 2022 की स्थिति के अनुसार	मौजा अर्कोडिया घांट, परगना सेंट्रलदून, जिला देहरादून में स्थित खाली खाता नं. 820 (1399 से 1404 फासिल), खसता नं. 1800/2 का हिस्सा, परिमाण 640.47 वर्ग मीटर क्षेत्रफल/प्लॉट संख्या का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा चूहडी निम्नानुसार: पूर्व : 12 फीट चौडी सड़क पश्चिम : विकेटा से संबंधित भूमि उत्तर : मगवान सिंह से संबंधित भूमि दक्षिण : अन्य भूमि	रु. 40,20,806/- (रुपये चालीस लाख बीस हजार आठ सौ छह मात्र)	रु. 40,20,80,6/- (रुपये चालीस दो हजार आठ सौ छह मात्र)	रु. 5833992.22/- (रुपये अठानवन लाख तैंतीस हजार नौ सौ बानवे एवं पैंसे बाईस मात्र)

- ईएमडी एवं केवाईसी (स्वयं सत्यापित) के साथ निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र में यहाँ ऊपर उल्लेखित मुख्यालय/शाखा कार्यालय पते पर **मुहरबंद बोली/प्रस्ताव** जमा करने की अंतिम तारीख 21/11/2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अथवा उससे पहले है। नहीं मने हुई निविदा/बोलियां अथवा अंतिम तारीख के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा तथा क्लरिफिकेशन पर विचार कर दिया जाएगा।
- ईएमडी की रकम "सर्वबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में देहरादून में भुगतये डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए, जिसे असाइनेड बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।
- सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख 07/11/2024 को **पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे** के बीच है।
- सम्पत्ति के लिए सौंपी/प्रस्ताव (नीलामी की तारीख) के चुनने की तारीख उक्त उल्लेखित शाखा कार्यालय के पते पर दिनांक 21/11/2024 को दोपहर 12.30 बजे है। निविदा/बोली सभी बोलीदाताओं के साथ अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जाएगी।
- सर्वशेष बची रकम कोट करने वाले बोलीदाता को सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी। अधिकृत अधिकारी के एकल विवेक पर पारस्परिक बोली लगाई जाएगी। हालांकि, अधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई कारण, चाहे कुछ भी हो, बताव किसी भी निविदा/बोली को स्वीकार अथवा रद्द करने अथवा किसी को स्थापित/निविदा करने का सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित है। आक्षेपित मुद्दे से कम कीमत पर सम्पत्ति की बिक्री नहीं की जाएगी।
- बकाया रकम की वसूली तक सूचना में उल्लेखित बकाया एवं भुगताने रकम पर ऋण अनुबंध में निर्धारित लागू आमो के ब्याज तथा आकस्मिक ब्याज, लागत इत्यादि वसूला जाएगा।
- निर्धारित निविदा प्रपत्र में नीलामी बिक्री के विस्तृत निमय एवं शर्तों का उल्लेख किया गया है। निविदा प्रपत्र ऊपर उल्लेखित मुख्यालय/शाखा कार्यालय में उपलब्ध है।
- कोई भी शुल्क, प्रमार, कर जो हस्ताक्षर/सम्पत्ति पर लगाया, अर्थात बिलिती का शुल्क, नगरपालिका/स्थानीय कर, स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीकृतकरण शुल्क तक ही सीमित नहीं होना का भुगतान रिस्क क्रेता को करना होगा।
- प्रारम्भिक समय पर सभी बकाया/देय/अनुकूल पर के साथ बिक्री का शुल्क, नगरपालिका/स्थानीय कर अथवा कोई भी बकाया, सांविधिक 15 दिनों के अंदर का भुगतान प्रत्येक रुपये से क्रेता को करना होगा।
- प्रारम्भिक ऋणदाता को ज्ञात ऋणपार: **शून्य**
- सम्पन्न बोलीदाता को बोली रकम (ईएमडी के समायोजन के उपरान्त) की 25% रकम अविचलन्य जमा करनी होगी तथा शेष 75% रकम का भुगतान 15 दिनों के अंदर करना होगा। ऊपर उल्लेखित बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल होने पर आगे बिना किसी सूचना के ईएमडी का सभ्य सभी जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में शेष 75% रकम जमा करने के लिए आमो यथास्थित समय तक विस्तार अधिकृत अधिकारी के एकल विवेक पर निभर है।
- अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण में उल्लेखित बकाया एवं भुगताने रकम पर आधारित, विधयन्त्रीय एवं रिंकार्ड की जांच की जाएगी है। अधिकृत अधिकारी किसी भी तरह की त्रुटि, गलत विवरण अथवा चूक इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- बोली हस्ताक्षरकर्ता को
- निर्वासन से अथवा डिमांड ड्राफ्ट रिफ "सैसर्स सर्वबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में देहरादून में भुगताने होना चाहिए।
- कर्जदार/सह-कर्जदार को एलएद्वारा** नीलामी की तारीख से पहले ऊपर उल्लेखित रकम का भुगतान करने के लिए **सर्वरफेसी अधिनियम, 2002** के अधीन **30 दिनों की सांविधिक बिक्री** सूचना दी जाती है, अन्यथा अचल सम्पत्ति की बिक्री कर दी जाएगी एवं बकाया रकम, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत के साथ वसूल किया जाएगा। बिक्री से पहले अग्न कर्जदार एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एसबीएफसी फाइनेंस प्रा. लि.) को सम्पूर्ण बकाया रकम चुकान कर देते हैं, तो नीलामी रोके दी जाएगी।
- कर्जदार, सह-कर्जदार को एलएद्वारा बिक्री के समय व्यतिगम रूप से उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है तथा वे बिक्री के निमय एवं शर्तों के अनुसार यहाँ ऊपर उल्लेखित सम्पत्ति के क्रय के लिए इच्छुक क्रेताओं/खरीदारों को तथा ला सकते हैं।

स्थान : देहरादून
तारीख: **18/10/2024**

पब्लिक नोटिस	
मैं /हम, सदीप कुमार जैन पुत्र राजिंदर कुमार और तुषार दीप जैन पुत्र सदीप कुमार जैन, एक बंधक, अर्थात एक समझ बंधक बनाने को इरादा रखते हैं, जो कि संपत्ति के लेनिमेन्टेड मूल शीर्षक दस्तावेजों पर आधारित है, जिसका नंबर 301, ब्लॉक नंबर C-2 जनकपुरी, नई दिल्ली है, और जो सदीप कुमार जैन पुत्र राजिंदर कुमार जैन और तुषार दीप जैन पुत्र सदीप कुमार जैन के नाम पर है। संबंधित संपत्ति के मूल दस्तावेज निम्नलिखित हैं:	
1. DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री मूलू लाल जैन के पक्ष में जारी आवंटन पुत्र दिनांक 05.09.1968।	
2. DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री मूलू लाल जैन के पक्ष में संपत्ति का निरस्त स्थाई पट्टा, निगम नं. 25.04.1972।	
पट्टा दस्तावेज संख्या 1175, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1447, पृष्ठ संख्या 09-06 के रूप में पंजीकृत है, जो 1-9-1968.1972 को पंजीकृत हुआ।	
3. DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री मूलू लाल जैन के पक्ष में संपत्ति का अंतरण पुत्र दिनांक 26.06.2003।	
दस्तावेज संख्या 7953, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 10974, पृष्ठ संख्या 104-106 के रूप में पंजीकृत है, जो 27.06.2003 को पंजीकृत हुआ।	
हम भारतीय स्टेट बैंक, एसएफडी आसफ अली रोड शाखा को एनबी संख्या ८/क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए के एक बंधक बंधना चाहते हैं। यदि किसी पक्ष को संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई दावा है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इच्छुक पार्टी और उपरोक्त भारतीय स्टेट बैंक कक्ष में दर्ज कराया जाना चाहिए।	

पब्लिक नोटिस	
मैं /हम, सदीप कुमार जैन पुत्र राजिंदर कुमार और तुषार दीप जैन पुत्र सदीप कुमार जैन, एक बंधक, अर्थात एक समझ बंधक बनाने को इरादा रखते हैं, जो कि संपत्ति के लेनिमेन्टेड मूल शीर्षक दस्तावेजों पर आधारित है, जिसका नंबर 301, ब्लॉक नंबर C-2 जनकपुरी, नई दिल्ली है, और जो सदीप कुमार जैन पुत्र राजिंदर कुमार जैन और तुषार दीप जैन पुत्र सदीप कुमार जैन के नाम पर है। संबंधित संपत्ति के मूल दस्तावेज निम्नलिखित हैं:	
1. DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री मूलू लाल जैन के पक्ष में जारी आवंटन पुत्र दिनांक 05.09.1968।	
2. DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री मूलू लाल जैन के पक्ष में संपत्ति का निरस्त स्थाई पट्टा, निगम नं. 25.04.1972।	
पट्टा दस्तावेज संख्या 1175, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 1447, पृष्ठ संख्या 09-06 के रूप में पंजीकृत है, जो 1-9-1968.1972 को पंजीकृत हुआ।	
3. DDA द्वारा श्री राजिंदर कुमार जैन पुत्र श्री मूलू लाल जैन के पक्ष में संपत्ति का अंतरण पुत्र दिनांक 26.06.2003।	
दस्तावेज संख्या 7953, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 10974, पृष्ठ संख्या 104-106 के रूप में पंजीकृत है, जो 27.06.2003 को पंजीकृत हुआ।	
हम भारतीय स्टेट बैंक, एसएफडी आसफ अली रोड शाखा को एनबी संख्या ८/क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए के एक बंधक बंधना चाहते हैं। यदि किसी पक्ष को संबंधित संपत्ति के संबंध में कोई दावा है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर इच्छुक पार्टी और उपरोक्त भारतीय स्टेट बैंक कक्ष में दर्ज कराया जाना चाहिए।	

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि., नानौता (सहारनपुर)	
निविदा सूचना	
इस चीनी मिल सभित में पराई सत्र 2024 –25 हारा आउटरकतानुसार अकुल कर्मचारियों व सुरक्षा कर्मियों के आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपूर्णित हेतु पोर्टल Gem.Gov.in के माध्यम से निविदाएं आमन्त्रित की जाती है।	
प्रधान प्रबन्धक	

medanta
ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड
सीआईएन: L85110DL2004PLC128319
पंजीकृत कार्यालय: मेदांता – मेडिकलिनिक, ई–18, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली –110 024
कॉर्पोरेट कार्यालय: मेदांता – द मेडिसिटी, सेक्टर – 38, गुरुग्राम, हरियाणा – 122 001
टेलीफोन: +91 124 483 4060; ई–मेल: compliance@medanta.org ; वेबसाइट: https://www.medanta.org
नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली, कोर्ट–V के समक्ष
कम्पनी याचिका संख्या (सीएए)–70 /230–232/एनडी/ 2024
से संबंधित
कम्पनी आवेदन संख्या (सीएए)–58 /230–232/एनडी/ 2024
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (समझौते, व्यवस्था (उहराव) और सामामेलन) नियम, 2016 मामले में

तथा
मेदांता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 1)
तथा
ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी / याचिकाकर्ता कम्पनी 2)
तथा
उनके संबंधित शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य
सामामेलन की योजना के मामले में
<i>[संक्षिप्ताता हेतु याचिकाकर्ता कम्पनी 1 और याचिकाकर्ता कम्पनी 2 को इसके परचात सामूहिक रूप से "याचिकाकर्ता कम्पनियों" कहा गया है]</i>
याचिका की सुनवाई की सूचना

मेदांता होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड तथा उनके संबंधित शेयधारकों एवं लेनदारों के साथ सामामेलन को अवतीर्ण करने वाली सामामेलन की योजना ("योजना") के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत एक याचिका याचिकाकर्ता कम्पनियों द्वारा 14 अगस्त, 2024 को प्रस्तुत की गई थी एवं 4 सितम्बर, 2024 को सुनवाई हुई। 4 सितम्बर, 2024 दिनांकित आदेश के अनुसार, उक्त याचिका बुधवार, 20 नवम्बर, 2024 को नई दिल्ली स्थित माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंच–V के समक्ष सुनवाई हेतु तय है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, याचिकाकर्ता कम्पनियों के वकील को, अपने वकील द्वारा हस्ताक्षरित अपने इरादे की सूचना, अपने नाम एवं पते के साथ इस तरह से भेजनी चाहिए कि वह याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो (2) दिन पहले **एकोम लीगल, जी–29, भूतल, लाजपत नगर–III, नई दिल्ली–110024** पर याचिकाकर्ता कम्पनियों के वकील के पास पहुँच जाए। यदि ऐसा व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, तो विरोधों के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। याचिका की एक प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को, उसकी आवश्यकता पर, प्रदान की जाएगी।

हस्ताक्षर
याचिकाकर्ता कम्पनी 1
के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
हस्ताक्षर
याचिकाकर्ता कम्पनी 2
के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पंजीकृत कार्यालय: यूनिट सं. 103, पहली मंजिल, सीएचडी स्वयंवर, संराम कॉम्प्लेक्स, ग्राम चकला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई-400059					
शाखा कार्यालय:	शॉप नं. 107, दूध प्लाजा, गॉंधी रोड, प्रिंस सैज के निकट, देहरादून - 248 001				
नीलामी सह लिहक के लिए सार्वजनिक सूचना					
एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) के अधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लेखित कर्जदार/ी से बकाया रकम की वसूली के लिए प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सर्वरफेसी अधिनियम") के अधीन यहाँ नीचे उल्लेखित प्रस्तावत सम्पत्ति पर कब्जा किए जाने के अनुपालन के तहत, प्रचलन में रहने वाली सम्पत्तियों के कब्जे में यहाँ नीचे उल्लेखित अवन सम्पत्ति के "जैसे है जहाँ है के आधार पर", "जैसे है जो कुछ है के आधार पर" तथा "जैसे है वहाँ जो कुछ है के आधार पर" कब्ज करने के लिए अयोहस्ताक्षरी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव/बिलियां आमंत्रित की जाती हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है:-					
कर्जदार(1)/सह-कर्जदार(1) का नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख एवं रकम	अवल सम्पत्ति का विवरण/ कब्जा की तारीख	आरक्षित मूल्य (आरपी)	इसका राशि (ब्याजी) (आरपी का 10%)	कुल बकाया रकम (16 अक्टूबर, 2024 को)
1. थापा मोहंती फौम 2. बन बहदुर थापा 3. सीता थापा सभी का पता सेवाली, प्रेमनगर, बडौवाला, अर्कोडिया घाट, परगना सेंट्रल दून, देहरादून-248007	31 अक्टूबर, 2022 रु. 43,102,154/- (रुपये तैंतालीस लाख दो हजार एक सौ चौवन मात्र) 25 अक्टूबर, 2022 की स्थिति के अनुसार	मौजा अर्कोडिया घांट, परगना सेंट्रलदून, जिला देहरादून में स्थित खाली खाता नं. 820 (1399 से 1404 फासिल), खसता नं. 1800/2 का हिस्सा, परिमाण 640.47 वर्ग मीटर क्षेत्रफल/प्लॉट संख्या का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा चूहडी निम्नानुसार: पूर्व : 12 फीट चौडी सड़क पश्चिम : विकेटा से संबंधित भूमि उत्तर : मगवान सिंह से संबंधित भूमि दक्षिण : अन्य भूमि	रु. 40,20,806/- (रुपये चालीस लाख बीस हजार आठ सौ छह मात्र)	रु. 40,20,80,6/- (रुपये चालीस दो हजार आठ सौ छह मात्र)	रु. 5833992.22/- (रुपये अठानवन लाख तैंतीस हजार नौ सौ बानवे एवं पैंसे बाईस मात्र)

- ईएमडी एवं केवाईसी (स्वयं सत्यापित) के साथ निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र में यहाँ ऊपर उल्लेखित मुख्यालय/शाखा कार्यालय पते पर **मुहरबंद बोली/प्रस्ताव** जमा करने की अंतिम तारीख 21/11/2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे अथवा उससे पहले है। नहीं मने हुई निविदा/बोलियां अथवा अंतिम तारीख के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा तथा क्लरिफिकेशन पर विचार कर दिया जाएगा।

ईएमडी की रकम "सर्वबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में देहरादून में भुगतये डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में भुगतान किया जाना चाहिए, जिसे असाइनेड बोलीदाताओं को बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

सम्पत्ति निरीक्षण की तारीख 07/11/2024 को **पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 4.30 बजे** के बीच है।

सम्पत्ति के लिए सौंपी/प्रस्ताव (नीलामी की तारीख